जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

दिनांकः 01.09.2017

आज दिनांक 01-09-2017 को 10:30 बजे टण्डन कक्ष में माननीय कुलसचिव जी की अध्यक्षता में टाईम लिमिट की बैठक में निम्नांकित निर्णय लिये गये-

परिशिष्ट - "1"

पद क्र.	प्रस्ताव	निर्णय
1.	दिनांक 25/08/2017 संपन्न हुई टाईम लिमिट की बैठक के कार्य-विवरण की पुष्टि पर विचार **संलग्न-परिशिष्ट '1'**	दिनांक 25/08/2017 को संपन्न हुई बैठक के कार्य-विवरण में आंशिक सुधार के साथ संपन्न हुई।
2.	विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों पर विचार।	आज संपन्न हुई की बैठक के लिये किसी भी पदाधिकारी की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। अतः उनसे पुनः आग्रह किया गया कि, वे आगामी बैठक हेतु लिखित प्रस्ताव बैठक से दो दिन पूर्व भेजे।
3.	म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 11/08/2017 को आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये निर्देश के पालन पर विचार अ) "प्राप्त शिकायतों एवं उनके निराकरणों में गति लाये, सी0एम0 हेल्प लाईनके प्रकरणों का रिव्यू करें तथा बार-बार उत्तर न दोहराये"। एल-1 स्तर पर ही प्रकरणों का निराकरण किया जाये ताकि एल-2 एवं एल-3 स्तर पर प्रकरणों की संख्या अधिक न हो। ब) "विश्वविद्यालय समस्त परीक्षा परिणाम घोषित होने संबंधी प्रमाण-पत्र पुनः दे। ग्वालियर	परीक्षा नियंत्रक, उप-कुलसचिव (गोपनीय) एवं सहायक-कुलसचिव(परीक्षा) ने एकमत से यह जानकारी दी किः- अ) परीक्षा विभाग द्वारा सी0एम0 हेल्प लाईन एल-1 एवं एल-2 स्तर पर समुचित प्रत्युत्तर देते हुये समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण कियाजा रहा है, इन पर पुनर्विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। एल-3 एवं एल-4 स्तर पर शिकायतें महज छात्रों द्वारा असंतुष्टि व्यक्त करने के कारण पहुंच रही है। ब) गोपनीय एवं परीक्षा विभाग के समस्त कर्मचारी यह प्रमाण-पत्र दें कि, उनके सीट पर कोई भी लंबित परीक्षा परिणाम नहीं है। अगर कोई

		विश्वविद्यालय द्वारा कोई परीक्षा परिणाम शेष नहीं होने के उपरान्त भी शासकीय महाविद्यालय, गुना का प्रकरण समाधान ऑनलाईन में प्रस्तुत हुआ जो कि गंभीर लापरवाही का द्योतक है'' अतः विश्वविद्यालय शेष परीक्षा परिणाम तत्काल घोषित करें।	प्रकरण लंबित है तो उनकी एक संक्षेपिका उप-कुलसचिव, गोपनीय के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि उन प्रकरणों पर विचार कर उनका निराकरण किया जा सके। लंबित प्रकरणों का निराकरण सात दिवस में अपने उप-कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के मार्गदर्शन में करेंगे। इस प्रक्रिया को श्री राजीव मिश्रा, उप-कुलसचिव, गोपनीय द्वारा रविवार तक पूर्ण किया जावेगा। ताकि दिनांक 04/09/2017 की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ''विश्वविद्यालय द्वारा दिसम्बर, 2016 तक की समस्त परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित किये जा चुके है'' इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जा सके।
4.	छात्रों से नाम सुधार आदि के संदर्भ में विश्वविद्यालय लिये जा रहे शुल्क पर विचार		माननीय कुलपति जी के अनुमोदन के पश्चात् यह प्रस्ताव माननीय कार्य-परिषद् के समक्ष रखा जावेगा कि, जिन प्रकरणों में विश्वविद्यालय द्वारा त्रुटि हो जाती है एवं इस त्रुटि के सुधार हेतु छात्र से सुधार की फीस (जैसे-छात्र का नाम, माता-पिता का नाम आदि) ली जाती है, वह नहीं ली जाये, इस हेतु सहमति बनी।
5.	अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की जा चुकी है तथा कोई भी विद्यार्थी शेष नहीं है। इस आशय का प्रमाण-पत्र म0प्र0 शासन की ओर प्रेषित करें।		अनुभाग अधिकारी, अनुसूचित जाति-जनजाति प्रकोष्ठ पुनः आदिम जाति कल्याण विभाग से संपर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त कर ले कि, सत्र 2017-18 की समस्त छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है एवं पुनः स्मरण-पत्र जारी कर संबंधित अध्ययनशालाओं/महाविद्यालयों से जानकारी प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर ले समस्त छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित हो चुकी है।
6.	न्यायालयीन प्रकरणों में यथासमय जबावदावा दायर किया जावे पर विचार		प्रत्येक सोमवार को सायं 05:00 बजे लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में बैठक उप-कुलसचिव, प्रशासन के कक्ष में आयोजित होगी एवं उक्त बैठक को संपन्न कराने का दायित्व श्री जितेन्द्र मल्होत्रा का होगा।

7.	माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से अन्य बिन्दु पर विचार।	अ)	टाईम लिमिट की बैठक माननीय कुलपति एवं आदरणीय कुलसचिव जी की उपस्थिति में आयोजित होती है। इस बैठक में कुछ पदाधिकारीगण निरन्तर अनुपस्थित रहते है। उनका यह कृत्य माननीय कुलपति एवं आदरणीय कुलसचिव जी के प्रति असम्मान की भावना को दर्शाता है। अतः कुलसचिव जी के द्वारा निर्देशित किया गया कि, ऐसे पदाधिकारियों की सूची बनाकर माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत की जाये।
		ब)	अतः उक्त बैठकसंपन्न कराने का दायित्व कुलपति/कुलसचिव इकाई सुनिश्चित करें। कुलपति/कुलसचिवइकाई कार्य–सूची एवं कार्य–विवरण तैयार करना भी सुनिश्चित करें। इस पद के ब) पैरा को विलोपित किया जाये एवं प्रचलित व्यवस्था को निरन्तर रखा जावे।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद, प्रस्ताव पारित कर बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. समस्त पदाधिकारी/सदस्य टाईम लिमिट बैठक, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
2. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
3. विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभागअधिकारियों की ओर इस निर्देश के साथ कि, उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों पर शीघ्र ही क्रियान्वयन कर आगामी बैठक में सूचित किया जावे।
4. पत्रावली हेतु।

R/620 04.9.17 V.C/4474 05/09/17 मा. कुलपति जी

अनुमोदनार्थ 1/9/17

सांख्यिकीय अधिकरी